

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 52 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

SUNIL KUMAR DUBEY,
S/O -SATISH KUMAR DUBEY,
AT-MAHADEVA DAK BANGLA ROAD SARAN SIWAN SARAN BIHAR
841301,
9431076481

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04D1235 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/104/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

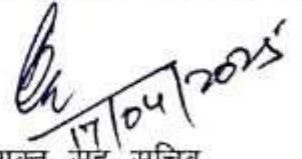
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D1235 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/104/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-01-06-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D1235	15-05-2006	BR/109/SC/104/2012	01-06-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 53 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SHOBHNATH SINGH,

S/O -LT KISHUNDEO SINGHI,

AT- AFFOUR PO- AFFOUR PS- KHAIRAH SARAN BIHAR 841301,

9657213206

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E7550 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/261/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E7550 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/261/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-03-09-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E7550	29-05-2008	BR/109/SC/261/2015	03-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


17/04/25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 54 / परि छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

OM PRAKASH SINGH,
S/O S THAKUR SINGH,
KALYANPUR MADHOPUR BARUARI GOPALGANJ BIHAR 999999,
9801850300

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P3020 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/53 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

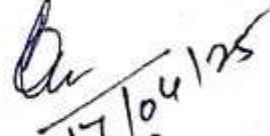
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P3020 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/53 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-05-03-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3020	09-04-2007	BR/109/SC/2018/53	05-03-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक - 55 / परि. छपरा, दिनांक - 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

DINESH KR SINGH OTHERS,
S/O SHIV DAYAL SINGH,
AT RATHOUR NEWAJI TOLA PO GORKUL MEHIA PS CHAPRA MUFFASIL
SARAN SARAN BIHAR 841301,
8757483432

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F8051 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/141 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F8051 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/141 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-05-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F8051	18-07-2009	BR/109/SC/2015/141	05-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 56 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

AJAY KUMAR SINGH,
S/O -LATE MANGAL SINGH,
AT-FIROJPUR PO-DHORLAHI KAITHAL PS-AMNOUR SARAN SARAN
BIHAR 841301,
8083661430

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04D0886 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/17 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

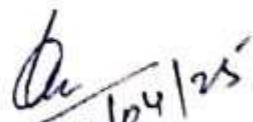
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D0886 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/17 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-05-10-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D0886	04-05-2006	BR/109/SC/2017/17	05-10-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त/सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 57 / परि छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित

AJAY SINGH,
S/O MANGAL SINGH,
AT FIROJPUR AMNOUR CHAPRA SARAN SARAN BIHAR 841301,
8083661430

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04D7286 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/07 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

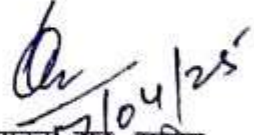
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D7286 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/07 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-05-10-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D7286	08-03-2007	BR/109/SC/2017/07	05-10-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 58 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

AJAY KUMAR SINGH,
S/O LATE MANGAL SINGH,
VILL FIROJPUR PO DORLAHI KAITHAL PS AMNOUR SARAN SARAN
BIHAR 841301,
8083661430

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04D9586 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/09 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

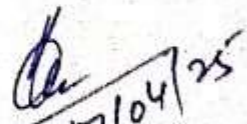
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D9586 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2017/09 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-05-10-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D9586	11-06-2007	BR/109/SC/2017/09	05-10-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सारण-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 59 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

SRIKANT OJHA,
S/O -HARIHAR OJHA,
AT-SHAJITPUR PS-BANIYAPUR SARAN SARAN BIHAR 841301,
9199554219

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E4319 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2024-SC-1434A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

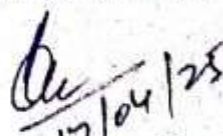
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E4319 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2024-SC-1434A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-08-2029 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E4319	18-01-2008	BR2024-SC-1434A	06-08-2029

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

झापांक :- 60 /परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

RAMNATH SINGH,
S/O LT JALESHWAR SINGH,
AT-PO-BASARV PS- BASANTPUR SIWAN SIWAN BIHAR 841226,
8002653819

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29F7099 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/138 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

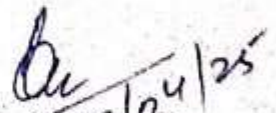
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29F7099 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/138 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-05-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29F7099	16-11-2009	BR/109/SC/2018/138	06-05-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहें तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 61 / परि. छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

MUKESH KUMAR,

S/O LT JALESHWAR RAI,

AT DAHIYAWA TOLA PS CHAPRA TOWN SARAN SARAN BIHAR 841301,

7759935367

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04D3825 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/265/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

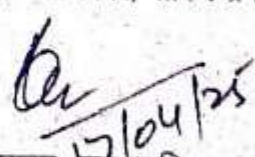
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D3825 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/265/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-09-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D3825	13-12-2006	BR/109/SC/265/2015	06-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहें तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 62 /परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

SANTOSH KUMAR RAI,

S/O JAY PRAKASH RAI,

AT PO DHOLAHAI KAITHAL PS AMNOUR SARAN SARAN BIHAR 841301,

6200737652

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E2258 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/275 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

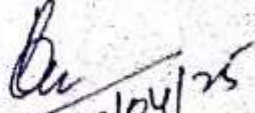
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E2258 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/275 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-09-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E2258	15-10-2007	BR/109/SC/2015/275	06-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सिंह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 63 /परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

MUKESH KUMAR,

S/O -JALESHWAR RAY,

AT-SADHANAPURI PS-CHAPRA SARAN SARAN BIHAR 841301,

7759935367

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G0825 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/264 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

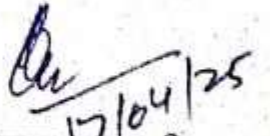
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G0825 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/264 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-09-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G0825	09-10-2009	BR/109/SC/2015/264	06-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 64 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

DHANANJAY SINGH,

MOGAL SINGH,

KARASGHAT MAHAMDPUR GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR 840000,
9939862230

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P8341 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/321 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

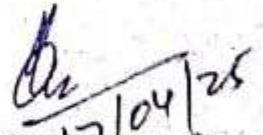
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P8341 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/321 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-09-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P8341	15-06-2009	BR/109/SC/2015/321	06-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 65 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

JAY PRAKASH RAY,
S/O RAM PRASAD RAY,
ANISABAD PATNA PATNA PATNA BIHAR 999999,
9801237708

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR1AP8603 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/317/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

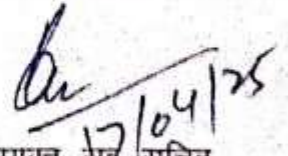
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR1AP8603 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/317/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-06-09-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1AP8603	09-03-2008	BR/109/SC/317/2015	06-09-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहें तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 66 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

UMESH PRASAD,

S/O -LATE JOGINDAR PRASAD,

VILL-PARSADI PO-PARSONA PO PARSONA SARAN SARAN BIHAR 841301,
9939852626

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E3086 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-2236A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

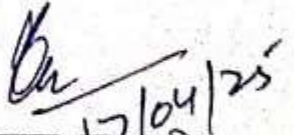
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E3086 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-2236A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-07-08-2028 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E3086	01-11-2007	BR2023-SC-2236A	07-08-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 67 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

GOVIND KUMAR,
JALESHWAR RAY,
SANDHA CHHAPRA SARAN BIHAR 841301,
9657213206

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR01PA5048 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2024-SC-1456A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

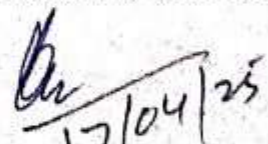
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR01PA5048 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2024-SC-1456A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-07-08-2029 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR01PA5048	19-09-2009	BR2024-SC-1456A	07-08-2029

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


17/04/25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 68 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

GOVIND KUMAR,

LATE JALESHWAR RAY,

AT- SANDHA BAZAR SAMITI PO SANDHA PS CHAPRA MUFFASIL SARAN

BIHAR 841301,

9657213206

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04PA4251 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-1642A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

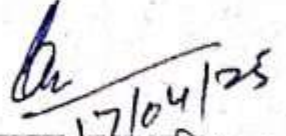
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04PA4251 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-1642A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-07-06-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04PA4251	01-01-2004	BR2023-SC-1642A	07-06-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 69 / परि. छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

PRAFFUL KUMAR TIWARI,
SRI KANT TIWARY,
SITA BALWA DARMARWA RAMNAGAR PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR
999999,
9955404121

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR1PA0822 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/72 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

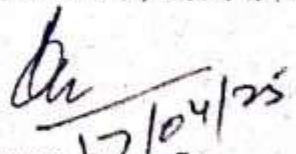
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR1PA0822 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2018/72 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-08-03-2028 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR1PA0822	24-10-2008	BR/109/SC/2018/72	08-03-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 70 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SURENDRA PRASAD,

PONCHU SAH,

KUAYO CHAKIYA E.CHAMPARAN BIHAR 999999,

9546659015

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR06P7371 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/170/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

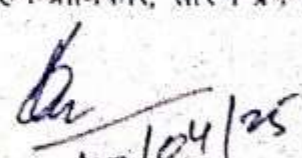
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P7371 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/170/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-09-08-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P7371	13-03-2009	BR/109/SC/170/2015	09-08-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ७१ / परि. छपरा, दिनांक :- १३ / ०५ / २०२५

प्रेषित,

SMT. SOBHA DEVI,
W/O MR. ABHAY KR. SINGH,
AT-SAREYA WARD NO-5 PO+PS+DIST-GOPALGANJ GOPALGANJ
GOPALGANJ BIHAR 841428,
9471041121

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28P2671 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2021-SC-3070A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

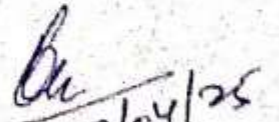
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28P2671 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2021-SC-3070A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-09-12-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28P2671	14-08-2006	BR2021-SC-3070A	09-12-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ७२/परि. छपरा, दिनांक :- १३/०५/२०२५

प्रेषित,

SUKESH KUMAR SINGH,

S/O -KAMTA SINGH,

MARAVA VILL-BANGARA BAIKUNTHPUR GOPALGANJ SARAN BIHAR
841301,

8210317454

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E2594 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/161/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

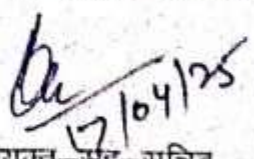
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E2594 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/161/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-09-12-2028 तक है।
विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E2594	01-11-2007	BR/109/SC/161/2013	09-12-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 73 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

NEELAM DEVI,

S/O -SURENDRA SHARMA,

AT-RAMGARHA PO-RAMGARHA PS-AWTAR NAGAR SARAN SARAN

BIHAR 841301,

9430530232

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G9466 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/132/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

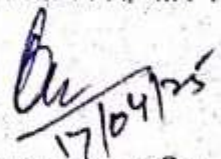
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G9466 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/132/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-09-07-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G9466	21-08-2009	BR/109/SC/132/2012	09-07-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- १५ / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

VINAY KUMAR CHAUBEY,
S/O VISHNU CHAUBEY,
ATNAWADA MANANPUR PS-GOBINDGANJ MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845401,
9673915116

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05P1457 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/55/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

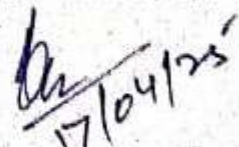
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR05P1457 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/55/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-09-03-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR05P1457	12-01-2007	BR/109/SC/55/2012	09-03-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहें तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ७५ / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

MADHURI DEVI,
W/O KARNESH KUMAR,
AT CHIRAND PO CHIRAND PS DORIGANJ SARAARN SARAN BIHAR
841301,
9122449077

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G0587 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-2282A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

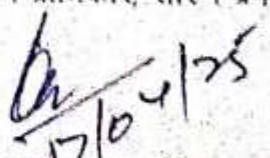
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G0587 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-2282A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-11-08-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G0587	29-09-2009	BR2023-SC-2282A	11-08-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 76 / परि. छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

AMAR NATH KOHALI,
S/O -VIDHA BHUSHAN PD KOHALI,
VILL-SUTIHAR PS-DARIYAPUR SARAN SARAN BIHAR 841301,
7541909877

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E9877 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-2034A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

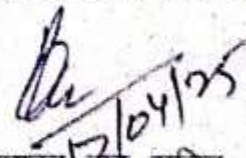
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E9877 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-2034A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-11-07-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E9877	28-08-2008	BR2023-SC-2034A	11-07-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 77 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

VINOD KUMAR RAY,

S/O VASRAN RAI,

AT H NO 23 GHEGHTA PS CHAPRA MUFFASIL SARAN SARAN BIHAR

841301,

8210836182

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04F6994 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2022-SC-2622A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

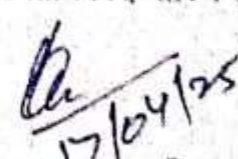
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F6994 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2022-SC-2622A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-12-12-2027 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F6994	01-01-2008	BR2022-SC-2622A	12-12-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- २४ / परि. छपरा, दिनांक :- १३ / १२ / २०२५

प्रेषित,

KAMESHWAR SINGH,

S/O BIKAU SINGH,

VILL KAUNDHA PO MASHRAKH PO MASHRAKH SARAN SARAN BIHAR

841301,

9430529137

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04D0493 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/85/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

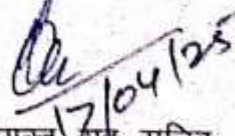
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D0493 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/85/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-13-12-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D0493	18-04-2006	BR/109/SC/85/2011	13-12-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ३९ / परि. छपरा, दिनांक :- १७/०४/२०२५

प्रेषित,

TABISH PARWEZ,

PERWEZ ALAM,

TAKIA YAKUB TAKIA YAKUB GOPALGANJ BIHAR 841428,

7979030212

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR28B9635 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-3456A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

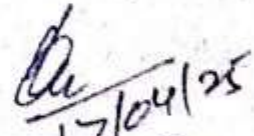
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28B9635 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-3456A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-13-12-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28B9635	25-06-2009	BR2023-SC-3456A	13-12-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


17/04/25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 80 / परि. छपरा, दिनांक :- 13 / 12 / 2025

प्रेषित,

ARVIND KUMAR YADAV,
CHANDRAMA YADAV,
AT HARKHAULI PO MIRGANJ PS MIRGANJ GOPALGANJ BIHAR 841438,
9006565564

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28C3051 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-3460A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

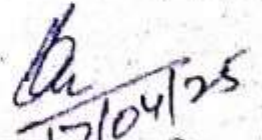
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28C3051 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-3460A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-13-12-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28C3051	19-11-2009	BR2023-SC-3460A	13-12-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 81 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

VASHISHTA KR. SINGH,

VIRENDRA SINGH,

KUANRPUR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN BIHAR 999999,
9934565005

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR06P8309 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-1718A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

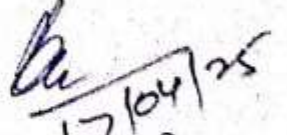
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P8309 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-1718A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-14-06-2028 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P8309	11-06-2009	BR2023-SC-1718A	14-06-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 82 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

UMESH KUMAR,

S/O -LT J PRASAD,

AT-PARSADI PO-PARSAUNA PO-PARSAUNA SARAN SARAN BIHAR

841301,

8002002102

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-WB25C6719 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/68/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

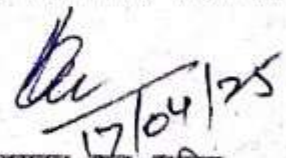
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-WB25C6719 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/68/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-14-11-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
WB25C6719	01-01-2006	BR/109/SC/68/2011	14-11-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 83 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

MITHLESH KUMAR,

S/O JALESHWAR PD YADAV,

AT DAHIYAWAN TOLA PS CHAPRA TOWN SARAN SARAN BIHAR 841301,
9835082955

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E4925 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2021-SC-1773A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

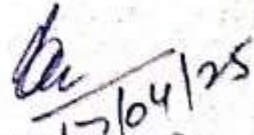
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E4925 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2021-SC-1773A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-15-08-2026 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E4925	01-01-2007	BR2021-SC-1773A	15-08-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ४५ / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

HIMANSHU KUMAR YADAV,
S/O NAGENDRA PRASAD,
AT-KISHUNDEO CHAPRA PS-FULWARIA GOPALGANJ BIHAR 841436,
6299702279

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28C3705 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/NP/31/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

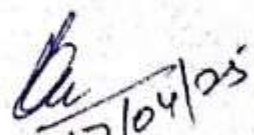
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28C3705 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/NP/31/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-15-03-2028 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28C3705	01-10-2009	BR/109/NP/31/2013	15-03-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


17/04/25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 85 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

AJAY SINGH,

S/O BIKAU SINGH,

AT PO SANDHA MUFFASIL CHAPRA SARAN SARAN BIHAR 841301,

8526525452

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04D7993 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/44 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

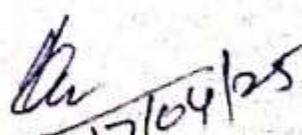
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04D7993 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/44 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-15-05-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04D7993	01-02-2007	BR/109/SC/2015/44	15-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 86 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

MITHILESH KUMAR,

S/O -LT JALESHWAR RAI,

AT-DAHIYAWAN TOLA PS-CHAPRA TOWN SARAN SARAN BIHAR 841301,
9470059355

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E4725 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/140/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

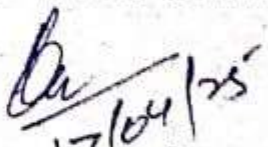
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E4725 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/140/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-16-08-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E4725	18-02-2008	BR/109/SC/140/2013	16-08-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ४७ / परि. छपरा, दिनांक :- 13 / 04 / 2025

प्रेषित,

SUNIL SINGH SRI PRAKASH SINGH,
S/O-SRI VIJAY SINGH JOKHAN SINGH,
AT-DAHIYAWAN PO-DAHIYAWAN PS-CHAPRA SARAN BIHAR 841301,
9693501418

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E2649 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/146/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

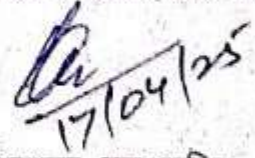
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E2649 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/146/2013 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-17-08-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E2649	31-01-2007	BR/109/SC/146/2013	17-08-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ४४ /परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

SIYA RAM SINGH,

S/O -NITYA NAND SINGH,

AT PO-RAMPUR KALA PS-KHAIRAH SARAN SARAN BIHAR 841301,

9431466312

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E6126 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/187 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

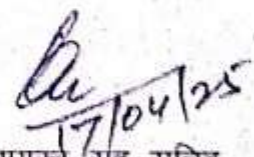
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E6126 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/187 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-18-08-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E6126	17-04-2008	BR/109/SC/2015/187	18-08-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 89 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SUNIL KUMAR SINGH,
SUDAMA SINGH,
VILL-SALEMPUR PO-PANDIT KE RAMPUR PS-BHAGWANPUR HAT
SIWAN BIHAR 841507,
9835655661

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04G1376 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2021-SC-1804A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

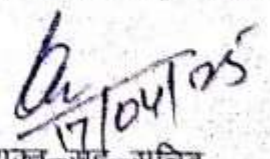
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G1376 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2021-SC-1804A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-18-08-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G1376	26-10-2009	BR2021-SC-1804A	18-08-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 90 / परि. छपरा, दिनांक :- 13 / 04 / 2025

प्रेषित,

VINAY KUMAR CHAUBEY,
S/O -VISHNU CHAUBEY,
AT-MANANPUR PO-GOVINDGANJ EAST CHAMPARAN EAST
CHAMPARAN SARAN BIHAR 841301,
9673915116

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F4003 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/82 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

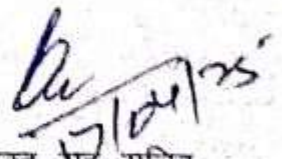
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F4003 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/82 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-18-02-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F4003	10-01-2004	BR/109/SC/2016/82	18-02-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 91 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

HARENDRA SINHA,

S/O BACHA SINHA,

AT BHADKUIYA PS PO BARAULI GOPALGANJ SARAN BIHAR 841301,

9934016430

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G1641 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/115 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G1641 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/115 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-18-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G1641	01-08-2009	BR/109/SC/2015/115	18-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 92 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

MUKESH KUMAR,

S/O LT JALESHWAR RAI,

AT DAHIYWAN TOLA PS CHAPRA TOWN SARAN SARAN BIHAR 841301,
7759935367

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04B5225 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/217 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

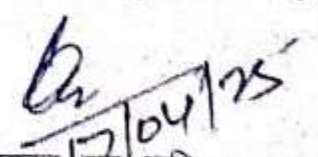
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04B5225 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/217 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-19-08-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04B5225	01-01-2001	BR/109/SC/2015/217	19-08-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ९३ / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

RAHUL KUMAR,

S/O BINDESHWAR RAI,

AT DAHIWAYAN TOLA PS CHAPRA TOWN SARAN SARAN BIHAR 841301,
9470059355

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G6225 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/216 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

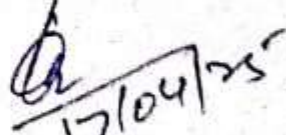
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G6225 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/216 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-19-08-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G6225	01-11-2009	BR/109/SC/2015/216	19-08-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- १५ / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

AKBAR ALI,

S/O SARFUDDIN,

AT- TETAHLI, PS- BARHARIA, SIWAN SIWAN BIHAR 841226,

9934746187

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR28A8451 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/SC/109/2012/212 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

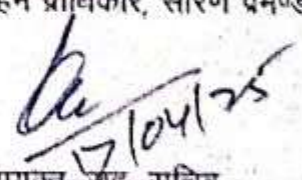
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28A8451 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/SC/109/2012/212 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-19-09-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28A8451	30-03-2007	BR/SC/109/2012/212	19-09-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- ०१५ / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

HARESH RAY,
S/O MADAN GOPAL RAY,
AT KOREYA PO JIGNA DUBEY PS BHOOREY GOPALGANJ BIHAR 841426,
9122449077

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR28B3841 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-2666A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

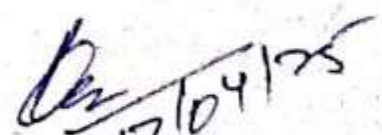
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28B3841 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-2666A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-19-09-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28B3841	08-03-2008	BR2023-SC-2666A	19-09-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 96 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/05/2025

प्रेषित,

SATYENDRA KUMAR SINGH,

S/O --VISHWANATH SINGH,

AT-MEERA MUSEHARI PO-MEERA MUSEHARI PS-MUFFASIL SARAN

SARAN BIHAR 841301,

9199346012

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04F5966 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/112 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

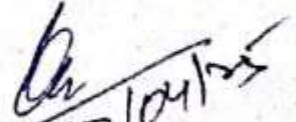
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F5966 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/112 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-20-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F5966	15-05-2009	BR/109/SC/2015/112	20-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- १७ / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

RAJENDRA SINGH,

BAIJ NATH SINGH,

PIR MARKER DADANPUR MAKER SARAN SARAN BIHAR 841204,

9534457061

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR06P6193 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/114/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

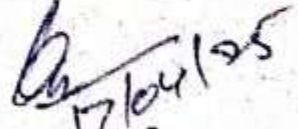
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P6193 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/114/2015 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-20-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P6193	03-11-2008	BR/109/SC/114/2015	20-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- १४ / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

RAJENDRA SINGH,

S/O LT.BAIDNATH SINGH,

PIR MAKER DADANPUR DADANPUR SARAN SARAN BIHAR 841204,

9934729569

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR06P3714 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2023-SC-0553A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

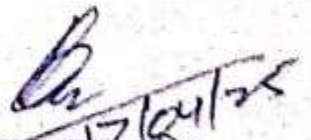
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P3714 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2023-SC-0553A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-22-02-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P3714	18-09-2007	BR2023-SC-0553A	22-02-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक - 99 / परि. छपरा, दिनांक - 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

ANIL KUMAR SINGH,
S/O -LT JAG NARAYAN SINGH,
AT PO-MIRA MUSEHARI PS-CHAPRA MUFFASIL SARAN SARAN BIHAR
841301,
9470607044

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E4166 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/145 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

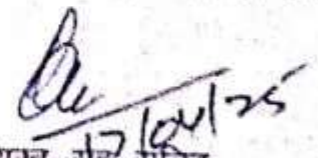
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E4166 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/145 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-23-02-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E4166	08-01-2008	BR/109/SC/2016/145	23-02-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 100 / परि. छपरा, दिनांक :- 13 / 05 / 2025

प्रेषित,

SHREE KANT OJHA,

S/O -HARIHAR OJHA,

H NO-SAHAJITPUR PS-BANIYAPUR SARAN SARAN BIHAR 841301,

9934921797

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G3619 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/61 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

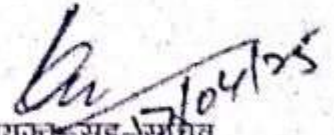
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G3619 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/61 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-23-05-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G3619	31-12-2009	BR/109/SC/2010/61	23-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 101 / परि. छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

NAGESHWAR PD,
S/O LT RAJENDRA PD,
AT-SIHAUTA BANGRA MAHARAJGANJ PO-SIHAUTA BANGRA
MAHARAJGANJ SIWAN SIWAN BIHAR 841226,
8935906938

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29C7729 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2009/110 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

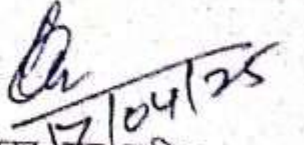
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29C7729 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2009/110 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-24-03-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29C7729	04-11-2006	BR/109/SC/2009/110	24-03-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 102 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH,
S/O -LATE RAM SINGAR SINGH,
AT-PRABHU NATH NAGAR PO-TARI PS-MUFFASIL SARAN SARAN BIHAR
841301,
9934921937

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F5866 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/175 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

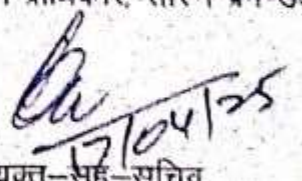
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F5866 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/175 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-24-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F5866	15-09-2009	BR/109/SC/2010/175	24-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 103 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 09 / 2025

प्रेषित,

MOHAN RAY,
S/O -SHATRUDHAN RAY,
AT-JASAULI PAKAULI SIWAN SIWAN BIHAR 841301,
9801586044

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F8977 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/213/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

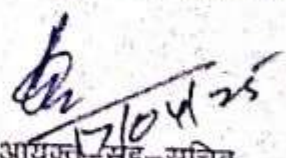
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F8977 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/213/2012 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-24-09-2027 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F8977	14-08-2009	BR/109/SC/213/2012	24-09-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- १०५ / परि. छपरा, दिनांक :- १७ / ०५ / २०२५

प्रेषित,

ANIL YADAV,
BIKHU YADAV,
AT-NEAR MAIN ROAD DHARAM PARTA PS-MANJHAGHADH GOPALGANJ
BIHAR 841427,
7061516783

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR06P2430 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2024-SC-0830A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

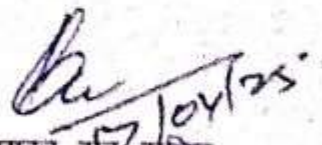
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR06P2430 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2024-SC-0830A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-25-04-2029 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR06P2430	01-11-2006	BR2024-SC-0830A	25-04-2029

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 105/परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

SUNIL KR.CHAUBEY,
S/O BISHNU CHAUBEY,
AT-MANANPUR PS- GOVINDGANJ MOTIHARI PURBA CHAMPARAN
BIHAR 845401,
9673915116

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05AP1002 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/17/2018 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

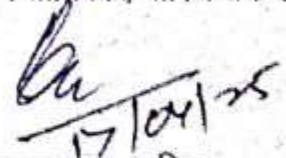
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR05AP1002 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/17/2018 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-25-02-2028 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR05AP1002	08-10-1997	BR/109/SC/17/2018	25-02-2028

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 106 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/05/2025

प्रेषित,

SATYENDRA KR SINGH OTHERS,
S/O -BISHWANATH SINGH OTHERS,
H NO 64 BARI MUSEHARI CHAPRA SARAN SARAN BIHAR 841301,
9934921937

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E6066 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/173 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

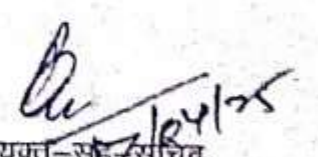
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E6066 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/173 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-25-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E6066	03-04-2008	BR/109/SC/2010/173	25-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 107 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SURENDRA SHARMA,
MADHAV PD SINGH,
SADHANAPURI CHAPRA CHAPRA SARAN BIHAR 841301,
6207695979

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04F9466 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/127 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

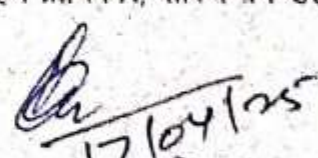
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04F9466 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/127 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-25-05-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04F9466	21-07-2009	BR/109/SC/2015/127	25-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 108 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SHAHABUDDIN,

S/O SARAFUDDIN,

AT- TETAHALI SIWNA PO-PS- BARHARIA SIWAN SIWAN BIHAR 841226,
9934746187

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29C8031 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/135 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

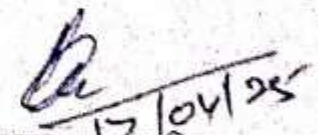
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29C8031 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2010/135 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-25-05-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29C8031	24-11-2006	BR/109/SC/2010/135	25-05-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

झापांक :- 109 / परि छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

RAMAWATI DEVI,

W/O LT KAULESHWAR RAY,

AT-BHAGWATPUR PO-BASANTPUR BANGLA PS-AMNOUR SARAN BIHAR

841301,

9430586830

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04E2216 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2022-SC-0939A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

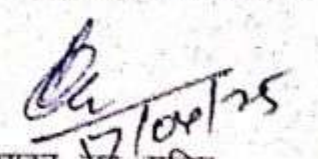
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E2216 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2022-SC-0939A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-26-04-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E2216	20-07-2007	BR2022-SC-0939A	26-04-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 110 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

VINAY KUMAR CHAUBEY,
S/O VISHNU CHAUBEY,
AT-NAWADA MANANPUR PS-GOBINDGANJ MOTIHARI PURBA
CHAMPARAN BIHAR 845401,
9673915116

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR05P1458 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2022-SC-0937A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

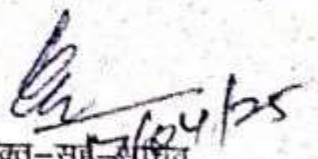
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR05P1458 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2022-SC-0937A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-26-04-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR05P1458	12-01-2007	BR2022-SC-0937A	26-04-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 111 / परि. छपरा, दिनांक :- 13/05/2025

प्रेषित,

RANJAN KUMAR YADAV,
PUJA YADAV,
HARKHAULI PASCHIM TOLA MIRGANJ UCHAKAGAON GOPALGANJ
BIHAR 841438,
9608650178

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29D8845 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2022-SC-0948A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

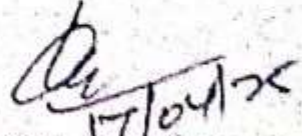
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29D8845 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2022-SC-0948A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-26-04-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29D8845	03-05-2008	BR2022-SC-0948A	26-04-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 112 / परि. छपरा, दिनांक :- 13 / 04 / 2025

प्रेषित,

MD PRAVEJ ALAM,

S/O MD AMIN ANSARI,

AT-SADAWA PS-SIDHWALIA GOPALGANJ GOPALGANJ BIHAR 841428.

9801850300

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR28B2627 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/35 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

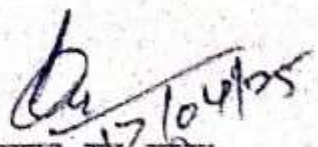
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR28B2627 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2016/35 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-27-01-2026 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR28B2627	27-01-2008	BR/109/SC/2016/35	27-01-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप चाहें तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 113 / परि. छपरा, दिनांक :- 12 / 04 / 2025

प्रेषित,

JITENDRA YADAV,
RAJ KISHOR YADAV,
AT-NEW BASTI MANIAR PO-CHANDUPAKAR MANIAR PS-MANIAR
BIHAR 277207,
8840529629

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29F3829 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2022-SC-1036A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

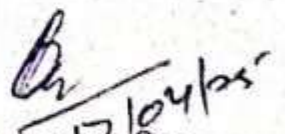
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29F3829 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2022-SC-1036A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-28-04-2027 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29F3829	22-08-2009	BR2022-SC-1036A	28-04-2027

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा ले, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 114 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SUDAMA SINGH,

S/O -BHOLA SINGH,

VILL-KAUDIYA PO-KAURIYA PS-BHAGWANPUR SIWAN SARAN BIHAR
841301,

9572699121

विषय:-

आपके वाहन संख्या:-BR04G1476 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/SC/109/143/2010 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

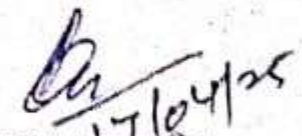
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04G1476 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/SC/109/143/2010 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-28-01-2025 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04G1476	03-11-2009	BR/SC/109/143/2010	28-01-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 115 / परि. छपरा, दिनांक :- 17/04/2025

प्रेषित,

HARERAM RAY,

S/O HARDEV RAY,

AT PO NARHARPUR PS MADHOPUR SARAN SARAN BIHAR 841301,
8574123601

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR04E8417 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/60 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

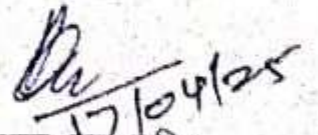
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR04E8417 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/2015/60 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-29-01-2025 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR04E8417	09-07-2008	BR/109/SC/2015/60	29-01-2025

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापक :- 116 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SUNIL KUMAR DUBEY,
S/O LT. MANAN DUBEY,
AT- 309 MAHADEVA DAK BANGLA ROAD SIWAN SIWAN SIWAN BIHAR
841226,
9334359535

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR29H5235 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR/109/SC/20/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

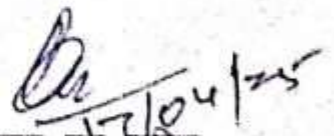
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR29H5235 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR/109/SC/20/2011 का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-29-07-2026 तक है। **विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR29H5235	30-03-2007	BR/109/SC/20/2011	29-07-2026

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांक :- 117 / परि. छपरा, दिनांक :- 17 / 04 / 2025

प्रेषित,

SANJIV KUMAR TIWARI,
NARENDRA NATH TIWARI,
VILL-CHAKIYA NONIYA CHHAPAR HUSEPUR GOPALGANJ BIHAR
841426,
9631284801

विषय:- आपके वाहन संख्या:-BR7P2876 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या-BR2024-SC-1352A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराने के संबंध में।

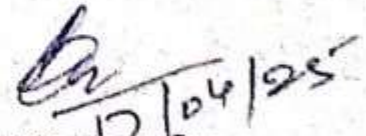
निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या-BR7P2876 की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट संख्या-BR2024-SC-1352A का प्रतिस्थापन अबतक नहीं कराया गया है, जबकि उक्त परमिट की वैधता दिनांक-31-07-2029 तक है। **विमागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन/बस को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।**

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रही हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

विदित हो कि ऐसे वाहनों/बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित करते हुए 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया था, जो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के दिनांक-04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपने उक्त वाहन के परमिट को अबतक प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है, जो मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	परमिट की वैधता
BR7P2876	02-12-2009	BR2024-SC-1352A	31-07-2029

अतएव आपको अंतिम मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि अपने उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उक्त परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। आप चाहे तो दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमण्डल, छपरा।